राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1537/2011/उदयपुर.

सहायक आयुक्त, वर्क्स एण्ड लिजिंग टैक्स,
वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर. .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स डी.एस.गुप्ता कन्सट्रक्शन प्रा.लि., उदयपुर. .....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ
श्री के. एल. जैन, सदस्य
श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री डी.पी.ओझा,
उप–राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री अभिषेक अजमेरा,
अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 25/07/2017

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या 35/वैट/10–11 में पारित किये गये आदेश दिनांक 07.03.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर वर्क्स एण्ड लिजिंग टैक्स, उदयपुर (जिसे आगे **'सशक्त अधिकारी'** कहा जायेगा) के द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 82 के तहत कर निर्धारण वर्ष 2007–08 के लिये पारित किये गये आदेश दिनांक 09.03.2010 के विरूद्ध अपील को स्वीकार करते हुए प्रकरण को कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया था।

2. प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि व्यवहारी कम्पनी द्वारा वर्ष 2007–08 में प्राप्त किये गये ठेके पर करमुक्ति प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश कर सम्बन्धित अधिसूचना 11.08.2006 के अनुसार भवन निर्माण कार्य पर 1.5 प्रतिशत से फीस निर्धारित किये जाने की प्रार्थना की गई थी, जिस पर विचार कर, कर निर्धारण अधिकारी द्वारा यह अवधारित किया गया कि यह भवन निर्माण कार्य नहीं है अतः मुक्ति प्रमाण पत्र में 3 प्रतिशत से फीस निर्धारित करने का आदेश दिनांक 15.06.2009 को दिया गया।

उक्त आदेश दिनांक 15.06.2009 के विरुद्ध अपील की जाने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा दिनांक 22.09.2010 को निर्णय पारित कर यह आदेश दिया गया

लगातार.....3

कि मुक्ति प्रमाण पत्र 1.5 प्रतिशत की दर से फीस निर्धारित करते हुये जारी करें इस तरह अपीलीय आदेश से फीस 1.5 प्रतिशत निर्धारित की जा चुकी थी परन्तु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलीय आदेश की अवमानना करते हुये व्यवहारी के विरुद्ध कर निर्धारण आदेश में 3 प्रतिशत से फीस देने का आदेश कर मांग सृजित कर दी गई है, जिसके विरुद्ध पुनः अपील की जाने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा उक्त विवादित आदेश दिनांक 07.03.2011 पारित कर पूर्व के अपीलीय आदेश दिनांक 22.09.2010 के अनुसार 1.5 प्रतिशत से ही फीस लेने का आदेश कर अपील स्वीकार की गई।

3. उक्त अपीलीय आदेश दिनांक 07.03.2011 पर दोनों पक्षों की बहस सुनी गई।

4. उक्त अपीलीय आदेश दिनांक 07.03.2011 में कर निर्धारण अधिकारी को विमुक्ति प्रमाणपत्र में फीस निर्धारण सम्बन्धी दिये गये पूर्व निर्णय दिनांक 22.09.2010 के अनुसार कर निर्धारण 1.5 प्रतिशत से करने का आदेश दिया गया है इसमें कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटि नहीं है। यह उल्लेखनीय है कि कर निर्धारण आदेश दिनांक 09.03.2010 को पारित किया गया था उस समय फीस के निर्धारण के विवाद सम्बन्धी अपील अपीलीय अधिकारी के समक्ष लंबित थी एवं उसका निर्णय आदेश दिनांक 22.09.2010 को किया गया जिसका प्रभाव दिया जाना चाहिये था एवं इसीलिये अपीलीय अधिकारी द्वारा अपील निर्णय का प्रभाव दिये जाने का जो निर्णय दिया गया है उसमें किसी भी तरह की त्रुटि नहीं है बल्कि अनिवार्यता है।

5. यह उल्लेखनीय है कि फीस सम्बन्धी विवाद का अपील निर्णय अंतिमता प्राप्त किया हुआ है एवं इसके अनुसार 1.5 प्रतिशत से ही फीस आरोपणीय है एवं यदि कर निर्धारण अधिकारी को दिनांक 22.09.2010 के आदेश से कोई आपत्ति थी तब उसके विरुद्ध अपील माननीय कर बोर्ड में प्रस्तुत की जानी चाहिये थी।

फलतः अपीलीय आदेश पूर्णतः विधिसम्मत होने के कारण राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

25/7/17

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य

25/7/2017

(के. एल.जैन)
सदस्य